न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण संख्या संख्या 08/2024(GCMS 2024/159)

नत्था सिंह पुत्र मलकीत सिंह निवासी रूपनगर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्रीमान **भरण पोषण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी**, करणपुर
2. **रणजीत कौर** पत्नी मलकीत सिह निवासी रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नत्था सिंह उपस्थित हुए। अपीलार्थी नत्था सिंह ने दिनांक 07.04.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 05/2023 दिनांक 05.01.2024 को निर्णित करते हुए, अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया था। प्रार्थी द्वारा जिसके विरूद्ध एक अपील इस न्यायालय में पेश की हुई है। श्रीमान न्यायालय को उक्त फैसले के विरूद्ध अपील की सुनवाई करने का श्रवणाधिकारी व क्षेत्राधिकारी प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रर्थी ने उक्त अपील वापिस दिये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी नत्था सिंह ने दिनांक 22.04.2025 को पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया और निवेदन किया कि अपील में प्रार्थी द्वारा अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये जा चुके है व रेस्पोडेंट द्वारा भी अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये जा चुके है। इसलिए दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात कोई निर्णय आज तक नहीं किया गया है। उक्त अपील प्रस्तुत किये हुए लगभग 10 माह का समय व्यतीत हो गया है। फिर भी पत्रावली में निर्णय पारित नहीं किया गया है। इसलिए पत्रावली आज ही पेशी में लिया जाकर अपील का निस्तारण करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के तहत माता पिता द्वारा ही अपनी संतान के विरूद्ध इस अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है न कि संतान द्वारा। इसलिए अपील वर्तमान में क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर सुनवाई हेतु विचाराधीन है। **अपीलार्थी नत्था सिंह द्वारा दिनांक 22.04.2025 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये है और अपलार्थी गलत तथ्य प्रस्तुत कर, किसी प्रकार की राहत प्राप्त नही कर सकता।**

यह अपील प्रार्थी नत्था सिंह ने पुत्र की हैसियत से अपनी माता रणजीत कौर के विरूद्ध पेश की है। माता पिता एवं भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत पुत्र/पोते को अपील पेश करने का कोई **अधिकारिता है अथवा नहीं?** धारा 16(1) निम्न प्रकार से है:

> **धारा 16.अपील**—(1) अधिकरण के आदेश से व्यथित **कोई वरिष्ठ नागरिक या माता—पिता,** आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा,
>
> **परन्तु** अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण—पोषण के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता—पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा:
>
> **परन्तु** यह और कि अपील अधिकरण साठ दिनो की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसे समाधान है कि अपीलार्थी समय सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल करने हेतु पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक अपीलार्थी द्वारा संतान की हैसियत से अपील पेश करने का सम्बन्ध है। उक्त धारा 16(1) के अनुसार अधिकरण के आदेश से व्यथित केवल वरिष्ठ नागरिक व माता–पिता के द्वारा ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही दिया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्द कुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है:–

> **13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099,**
>
> **This Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [See also- Vice Chancellor, university of Allahabad & Ors.Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629]**

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार कोई भी न्यायालय/सरकार/अथोरिटी किसी भी प्रभावी कानून के विपरीत जाकर कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं कर सकती है। चूंकि धारा 16(1) के अनुसार केवल वरिष्ठ नागरिक या माता– पिता के द्वारा प्रस्तुत अपील को ही इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है और किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने की अधिनियम में कोई अधिकारिता नही दी गई है और संतान या संबंधी के रूप में प्रस्तुत की गई किसी अपील पर उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के विपरीत कोई अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इसलिए अपीलार्थी नत्था सिंह पुत्र मलकीत सिंह ने पुत्र के रूप में दिनांक 29.07.2024 को प्रस्तुत की गई यह अपील एडमिशन की स्टेज पर ग्रहण योग्य न होने के कारण, यहां से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भिजवाई जावे। **अपीलार्थी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर, अधिकरण को गुमराह करने का प्रयास किया है, इसलिए अपीलार्थी को 200/– रूपये की कॉस्ट लगाई जाती है। अपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर के न्यायालय में 200/–रूपये राजकोष में जमा करवाये।** आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भी पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:12 IST
Reason: SelfAttested